



छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 8 मार्च, 2011 (फाल्गुन 17, 1932)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010 पटल पर रखेंगे.
- (2) श्री चन्द्रशेखर साहू, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट पटल पर रखेंगे.
- (3) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कापोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखे एवं प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002, 2002-2003 एवं 2003-2004 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

- (1) श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री शिवराज सिंह उसारे, सदस्य, धमतरी जिले में छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना अन्तर्गत साइकिल वितरण में लापरवाही किये जाने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (2) सर्वश्री नंद कुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, श्रीमती पदमा घनश्याम मनहर, सदस्य, रायगढ़ जिले में आदिवासियों की जमीन खरीदी-बिक्री में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य, बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -
 - (i) ग्राम मंगलोर में संचालित प्राथमिक शाला की मरम्मत एवं अहाता निर्माण करने,
 - (ii) ग्राम रेवे से पतौरा मार्ग का डामरीकरण करने,
 - (iii) ग्राम बीजाभाट से रांका मार्ग का डामरीकरण करने,
- (2) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -
 - (i) ग्राम कुकरेला मुख्य मार्ग से मोहलई-पथरी मार्ग निर्माण करने,
 - (ii) ग्राम शिवपुर से हीरापुर-बड़ेपारा-घठुला मार्ग निर्माण करने,
 - (iii) ग्राम पोड़गांव से लखनपुरी मार्ग में बालका नाले पर पुल निर्माण करने,
 - (iv) ग्राम पालवाड़ी में पूर्व माध्यमिक शाला खोलने,
 - (v) ग्राम सरईभदर में पूर्व माध्यमिक शाला खोलने,
- (3) श्री जगेश्वर राम भगत, सदस्य, जशपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमेराटोली में हाईस्कूल खोलने,
- (4) श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सदस्य, गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -
 - (i) ग्राम गांधी गोरकापार में संचालित हायर सेकेण्डरी स्कूल में अहाता निर्माण करने,
 - (ii) ग्राम सतमरा में संचालित पूर्व माध्यमिक शाला में अहाता निर्माण करने,
- (5) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -
 - (i) ग्राम झिथराटोला से कल्लूटोला मार्ग का डामरीकरण करने,
 - (ii) ग्राम मक्के में संचालित हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,
 - (iii) ग्राम रामतराई में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,
 - (vi) ग्राम कन्हारपुरी से देवरी मार्ग पर स्थित नाले पर पुल निर्माण करने,
 - (v) ग्राम चांदो से बंशीबंजारी-धनगांव मार्ग का डामरीकरण करने,
 - (vi) ग्राम कन्हारपुरी से सांकरदाहरा-देवरी मार्ग का डामरीकरण करने,
 - (vii) चौकी मुख्य मार्ग से दाउटोला मार्ग का संधारण एवं पुनर्निर्माण करने,
 - (viii) ग्राम कन्हारपुरी से सांकरदाहरा मार्ग में स्थित नाले पर पुलिया निर्माण करने,
 - (ix) ग्राम मक्के में हाईस्कूल भवन निर्माण करने,
 - (x) ग्राम हितागुटा से थुहाडबरी मार्ग का संधारण एवं पुनर्निर्माण करने,

- (6) श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सदस्य, सारंगढ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -
- (i) ग्राम सालहे स्थित खुडडी नाले पर पुलिया निर्माण करने,
 - (ii) ग्राम बम्हनीपाली में नाले पर स्टापडेम सह पुलिया निर्माण करने,
 - (iii) ग्राम कुम्हारी में स्टापडेम निर्माण करने,
 - (iv) ग्राम कपरतुंगा में हाईस्कूल खोलने तथा
 - (v) ग्राम पडकीडीपा में हाईस्कूल खोलने
- के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए 9 - 9 सदस्यों का निर्वाचन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

“सभा के सदस्यगण विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-221 के उप नियम (3), 223 के उप नियम (2) तथा 223-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2011-2012 की अवधि के लिये अपने में से क्रमशः 9-9 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।”

6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 9 सदस्यों का निर्वाचन

श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

“सभा के सदस्यगण विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम- 234- ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2011-2012 की अवधि के लिये अपने में से 9 सदस्य, जिनमें से क्रमशः तीन- तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।”

निर्धारित समय

7. वर्ष 2011-2012 की अनुदान मांगों पर चर्चा

3 घंटे 30 मिनट (1)	मांग संख्या	3	पुलिस
	मांग संख्या	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
	मांग संख्या	5	जेल
	मांग संख्या	17	सहकारिता

निर्धारित समय

3 घंटे	(2)	मांग संख्या	24	लोक निर्माण कार्य- सड़के एवं पुल
		मांग संख्या	67	लोक निर्माण कार्य- भवन
		मांग संख्या	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजना
		मांग संख्या	27	स्कूल शिक्षा
		मांग संख्या	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व
		मांग संख्या	26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या	37	पर्यटन
		मांग संख्या	28	राज्य विधान मण्डल

रायपुर

दिनांक 7 मार्च, 2011

द्वेवेन्द्र वर्मा

सचिव.